न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–251/2018 (जीसीएमएस नं. 2018/00264)

1. भगवान सहाय जाटवा पुत्र स्व. श्री छोटूराम जाटवा, जाति रैगर, निवासी ग्राम ठीकरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर।
2. सुनील कुमार गोयल,
3. विनय कुमार गोयल
4. नितिन कुमार गोयल, पुत्रान प्रेमचन्द गोयल, जाति महाजन वैश्य, निवासी ई–11/5, बसंत विहार दिल्ली।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री प्रदीप कुमार शर्मा एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**
3. **श्री प्रेमप्रकाश शर्मा एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 24.01.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.10.2017 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के समक्ष रेस्पोडन्ट संख्या 1 को पक्षकार बनाते हुये एक प्रार्थना पत्र बाबत सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराये जाने हेतु दिनांक 17.07.2017 को पेश किया गया जिस पर उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा ने प्रकरण दर्ज करने व अप्रार्थी को नोटिस जारी करने के आदेश प्रदान किये, इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण दिनांक 12.10.2017 को करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को सीमाज्ञान करवाने एवं पत्थरगढी कराने हेतु आदेशित किया, उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी के पड़ौसी काश्तकारों को पक्षकार बनाने के आदेश नही दिये और ना ही उन्हे आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई व सफाई पेश करने का अवसर ही प्रदान किया और अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्टगण ने भी उक्त आदेश को लम्बे समय तक दबाये रखा और दिनांक 24.05.2018 को अचानक गिरदावर पटवारी हल्का को साथ लेकर अपीलान्ट की जमीन खसरा नम्बर

P.T.O.

1143 लगायत 1147 एवं 1147/1323, 1148 व 1155 को नापने लगे इसकी सूचना अपीलान्ट को उसके पदस्थापित स्थान उदयपुर व में प्राप्त हुई जिस पर अपीलान्ट ने जिला कलक्टर जयपुर में एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जिस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर ने आदेश देते हुय अवैध कार्यवाही न करने के आदेश दिये और उस समय कार्यवाही रोक दी गई किन्तु इसके उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 ने रेस्पोउेनट संख्या 1 से सांठ–गांठ की तथा दिनांक 07.06.2018 को पुनः सीमाज्ञान करवाने तथा पत्थरगढ़ी कराने हेतु गिरदावर हल्का मनोहरपुर ऑफिस कानूनगों मनोहरपुर, पटवारी हल्का सुराना, पटवारी हल्का नवलपुरा व पुलिस थाना मनोहरपुर के नाम से आदेश क्रमांक 304761 जारी कार्यालय और इस आदेश की आड़ में उपरोक्त सभी व्यक्ति दिनांक 15.06.2018 को मौके पर उपस्थित होकर अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में पत्थरगढ़ी कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 का कब्जा कराने लगे इस अवैध कार्यवही से अपीलान्ट के परिजन तथा आस–पडौस के काश्तकार नाराज हो गये और उन्होने मौके पर सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी की कार्यवाही नही होने दी और उक्त सभी लोग बिना सीमाज्ञान कराये ही वापस लौट गये किन्तु दिनांक 01.07.2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 अपने साथ कुछ मजदूर लेकर आया और जबरन अपीलान्ट के खेत में पीलर लगा कर तारबंदी करने लगा जिस पर अपीलान्ट के परिजनों ने विरोध किया तो रेस्पोडेन्ट ने पुलिस थाने पर फोन कर दिया और पुलिस थाना मनोहरपुर से सादा वार्दी में दो पुलिस वाले मोटर साईकिल पर आये तथा अपीलान्ट के परिजनों को डराया व धमकाया तथा कहा कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 के पक्ष में फैसला हो गया है इसलिये उनको पीलर बाडने का अधिकार है यदि ज्यादा चूचपड की तो हम तुम्हे थाने में बंदकर देंगे इस कार्यवाही के बाद अपीलान्ट अपीलाधीन निर्णय के सम्बन्ध में जानकारी कर दिनांक 02.07.2018 को अपीलाधीन निर्णय की नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 02.07.2018 को नकल प्राप्त हुई इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होने पर अपीलान्ट पीड़ित व प्रभावित पक्षकार होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के निर्णय दिनांक 12.10.2017 से अप्रसन्न होने होकर जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद अपील न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा अपील पेश करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.2017 खिलाफ कायदा कानूनन व रूयेदाद मिसल तथा अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व पडौसी खातेदारों को सुनवाई व सफाई पेश करने हेतु कोई नोटिस नही दिया गया है व निर्णय उनकी व अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.2017 को खारिज फरमाया जावें।

**P.T.O.**

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.2017 विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 ने कथन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1163/1/3.87 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1177/0.60 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1179/0.30 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1179/1333/0.24 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1183/0.85 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1186/0.56 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1187/0.42 हैक्टयर कुल किता 7 कुल रकबा 6.84 हैक्टयर जिसके खाता संख्या नया 385 है एवं पुराना खाता संख्या 122 है खसरा नम्बर 1180/1.17 हैक्टयर कुल किता 1 कुल रकबा 1.17 हैक्टयर जिसका नया खाता संख्या 386 है एवं पुराना खाता संख्या 346 है एवं हाल आराजी खसरा नम्बर 1113/1341/0.55 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1135/1.73 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1136/0.37 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1140/0.19 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1141/0.24 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1142/0.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1149/0.50 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1150/1.67 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1165/0.20 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1157/0.20 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1158/0.36 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1159/0.82 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1160/5.64 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1162/1.31 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1164/6.39 हैक्टयर कुल किता 16 कुल रकबा 20.86 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1163/2/0.30 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1164/2/1.93 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1184/0.68 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1185/0.43 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 3.34 हैक्टयर वाके ग्राम सुराणा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में अवस्थित है जिसके रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 खातेदार काश्तकार है एवं उक्त आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 लम्बे समय से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है एवं कामकाज के सिलसिले में अक्सर बाहर आते–जाते रहते है जिससे उक्त आराजीयात की देखभाल नौकर, एजेन्ट द्वारा की जाती है परन्तु अब कुछ सालों से उक्त आराजीयात के आस–पास के खातेदार काश्तकार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 की आराजी को दबाने की कोशिश करते रहते है जिससे रेस्पोडेन्ट को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिये रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 को अपनी उक्त आराजी का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी कराना आवश्यक हुआ जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.2017 विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते

हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वारा सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी दोनों कार्यवाही के अपीलाधीन आदेश पारित किये है जबकि किसी भी खातेदार काश्तकार द्वारा अपनी आराजी के सीमाज्ञान हेतु सम्बन्धित तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने एवं राजकीय शुल्क जमा कराने के पश्चात् तहसीलदार द्वारा सीमाज्ञान बाबत आदेश पारित किये जाते है जबकि हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सीमाज्ञान रिपोर्ट के ही सीधे ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो न्यायिक प्रक्रिया के प्रतिकूल होने से उसे विधि सम्मत नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.2017 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।